	(11)
	basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F.No.16-4/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, आशुलिपिक (ग्रेड-I, II एवं III) भर्ती नियम, 2007, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-I, से है, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में आशुलिपिक श्रेणी-I, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए

जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-I	05* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	नहीं	प्रोन्नत व्यक्यिों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
20% मिश्रित पद्धति प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा 80% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा	**मिश्रित पद्धतिः–** **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति; या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन :–** केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे आशुलिपिक :– (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1(5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की है; या

(11)

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है ।

टिप्पण 1 : विभागीय आशुलिपिक श्रेणी-II जिसने वेतन बैंड-1, (रु. 5200-20200 रुपए) और ग्रेड वेतन 2400 रुपये में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है, के साथ बाह्य व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उस पद के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा ।

टिप्पण 2 : केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन होंगे ।

टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) :- 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष 2. उप आयुक्त, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा पोषित कृषि प्रणाली प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग —सदस्य	पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं ।

(12)	
3. अवर सचिव, संबंधित प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग	–सदस्य
4. कार्यालय प्रमुख (मुख्यालय) भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण	–सदस्य

[फा. सं.16-9/2013-एनआरएम-II]
प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 2015

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Soil and Land Use Survey of India Stenographer (Grade I, II and III) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to' these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade I	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4200.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	No	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
20% by composite method promotion or deputation (including short-term contract) . 80% by deputation (including short-term contract) or absorption	**Composite Method:-** **Deputation (including short-term contract) or promotion; or** **Deputation (including short-term contract) or absorption :** Officers holding the post of Stenographer under the Central or State Government or Union Territory Administrations or .Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutes or Semi Government or Statutory or Autonomous Bodies:- (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band 1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band 1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department **Note 1 :** The departmental stenographers Grade II in Pay Band 1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 with ten years of regular service in the Grade will also be considered along with outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2 :** Officers of only central or state governments or Union Territory Administrations shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis. **Note 3 :** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract)

(11)
including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the date of receipt of applications). **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman 2. Deputy Commissioner of the Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, Department of Agriculture and Cooperation —Member 3. Under Secretary of the concerned Division in the Department of Agriculture and Cooperation —Member 4. Head of Office, (Headquarter) Soil and Land Use Survey of India —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F.No.16-9/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—